



कार्यालय प्राचार्य, रामकृष्ण राठौर, शासकीय पॉलीटेक्निक पेण्डी जांजगीर,
जिला-जांजगीर चांपा (छ.ग.) 495668

वेब:- www.gpjanjgir.ac.in ईमेल:- polyjanjgir@rediffmail.com

क्रमांक/शापाजांचा/स्था/2025/

जांजगीर, दिनांक

—: आदेश —

इस संस्था के विज्ञापन क्रमांक 401 दिनांक 04.08.2025 के अनुक्रम में लिये गये साक्षात्कार दिनांक 23.08.2025 के पश्चात् बनाए गये अंतिम मेरिट के आधार पर संस्था में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के अंतर्गत माह सितंबर 2025 से प्रारंभ होने वाले सेमेस्टर के लिए (केवल एक सेमेस्टर) शैक्षणिक कार्य को सुचारु रूप से संचालन किये जाने हेतु अस्थायी रूप से निम्न दर्शाये अभ्यर्थियों के नाम के सम्मुख रिक्त पदों के विरुद्ध अंशकालीन व्याख्याता के रूप में नियुक्त किया जाता है। भविष्य में नियमित नियुक्ति हेतु इनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। शैक्षणिक कार्यों के अतिरिक्त परीक्षा संबंधी कार्य एवं प्राचार्य द्वारा सौंपे जाने वाले अन्य कार्य भी संपन्न करना होगा, जिसका अतिरिक्त पारिश्रमिक देय नहीं होगा। परीक्षा कार्य का पारिश्रमिक संबंधित वि.वि./प्राधिकारी द्वारा देय होगा। यह आदेश संबंधितों के द्वारा शैक्षणिक कार्य संपादन की तिथि से प्रभावशील होगा।

क्र.	नाम	पदनाम	किस पद के विरुद्ध नियुक्ति
1	कु. कृतिका ठाकुर	अंशकालीन व्याख्याता सिविल	रिक्त पद के विरुद्ध
2	श्री देवेन्द्र कुमार	अंशकालीन व्याख्याता विद्युत	रिक्त पद के विरुद्ध

उपरोक्त अभ्यर्थियों को छ.ग. शासन के पत्र क्रमांक एफ 1-5/2022/तक.शि./42 दिनांक 02.12.2022 के आधार पर समय सारिणी के अनुसार किये गये अध्यापन/शैक्षणिक कार्य हेतु प्रति कालखण्ड रुपये 800/- (रु.आठ सौ रुपये मात्र) की दर से अधिकतम 56100/- (रु. छप्पन हजार एक सौ मात्र) प्रतिमाह का पारिश्रमिक भुगतान बजट आबंटन के उपलब्धता के आधार पर किया जावेगा। इनकी सेवाएं पूर्णतः अस्थाई हैं तथा किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के व बिना कारण बताये समाप्त की जा सकती है। उपरोक्त पदों पर संस्था द्वारा नवीन अंशकालीन व्याख्याता नियुक्ति, शासन / संचालनालय द्वारा नियमित/ संविदा नियुक्ति किये जाने पर इनकी सेवाएं स्वमेव समाप्त हो जाएंगी। व्याख्याताओं द्वारा समयसारिणी के अनुसार लिये गये कालखण्डों का व्यौरा संबंधित विभागाध्यक्ष एवं प्राचार्य से प्रत्येक दिवस में प्रमाणित करवाना अनिवार्य है।

उपरोक्त अभ्यर्थियों को निर्देश दिये जाते हैं कि वे दिनांक 08.09.2025 तक अनिवार्य रूप से संस्था में कार्यभार ग्रहण करें। इसके पश्चात अन्य अभ्यर्थियों पर विचार किया जावेगा।

प्राचार्य,

रा.कृ.रा. शास. पाली.जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

जांजगीर, दिनांक 28/08/25

क्रमांक/शापाजांचा/स्था/2025/ 473

प्रतिलिपि-

- 1 संचालक, तकनीकी शिक्षा संचालनालय इंद्रावती भवन नवा रायपुर को सूचनार्थ।
- 2 समस्त विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ। ✓
- 3 कु. कृतिका ठाकुर, एवं श्री देवेन्द्र कुमार चयनित अंशकालीन व्याख्याताओं को आदेश के पालनार्थ।
- 4 जिला कोषालय अधिकारी, जिला जांजगीर को सूचनार्थ
- 5 लेखापाल, शासकीय पॉलीटेक्निक, जांजगीर-चांपा।

प्राचार्य,

रा.कृ.रा. शास. पाली.जांजगीर-चांपा (छ.ग.)